<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 08.11.2022</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत तीन सवारी, बिना फिटनेस,बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर देवकली रोड पर यातायात प्रभारी निर्मलजीत यादव मय पुलिस बल के चेकिंग की गई एवं आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में म्यूजिक के माध्यम से एवं पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें स्टंट बाइकिंग से बचे हैं काली फिल्म हूटर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्राली, लोडर पिकअप पर यात्रा न करें एवं रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं यातायात नियमों के अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद् मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 186 वाहनों का चालान 05 वाहन सीज किए गए हैं।

मैंप ऐप का सभी आम जनमानस प्रयोग करें आपको यात्रा में सहयोग मिलेगा मैंपल्स ऐप स्वदेशी है और गूगल मैप जैसा कार्य करता है स्वदेशी अपना आएंगे तो देश तरक्की के रास्ते और विकसित होगा हम आप सभी आत्मनिर्भर होंगे।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.11.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा वाद संख्या 1576/19 मु0अ0सं0 172/2019 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम से संबंधित वारंटी अभियुक्त काशीराम पुत्र गजोधर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार माननीय न्या0 भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

काशीराम पुत्र गजोधर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना पसगवाँ जनपद खीरी –

1. उ0नि0 श्री प्रभात कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी ताजपुर थाना पसगवाँ जनपद खीरी
2. का0 संदीप कुमार थाना पसगवाँ जनपद खीरी
3. का0 विष्णु कुमार थाना पसगवाँ जनपद खीरी
4. का0 बृजेश कुमार थाना पसगवां जनपद खीरी

थाना मितौली पुलिस द्वारा, 750 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर अभियुक्त सलीम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थो की बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.11.22 को अभि0 सलीम पुत्र तस्करी नि0 मोहल्ला बंजारा कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी को 750 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विरूद्ध थाना मितौली पर मु0अ0सं0 408/22 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सलीम पुत्र तस्करी नि0 मोहल्ला बंजारा कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 महताब सिंह
2. हे0का0 वेदप्रकाश सिंह
3. का0 गुलशन कुमार

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त मलकित सिंह को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08.11.22 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मलकित सिहं पुत्र दर्शन सिंह नि0 बाजार घाट थाना हजारा जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
मलकित सिंह पुत्र दर्शन सिंह नि0 बाजार घाट थाना हजारा जनपद पीलीभीत

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 राजेन्द्र यादव
2. हे0का0 विवेक
3. का0 रवि
4. का0 देवराज

<u>थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त प्रेम को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08.11.22 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रेम पुत्र मग्गर सिंह नि0 बाजार घाट थाना हजारा जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
प्रेम पुत्र मग्गर सिंह नि0 बाजार घाट थाना हजारा जनपद पीलीभीत

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 अभिषेक सिंह
2. हे0का0 ब्रजमोहन
3. का0 चमन सिंह

<u>थाना पसगवां पुलिस द्वारा, गोवध के वांछित अभियुक्त सुहील पुत्र हमीदुल को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.11.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 485/22 धारा 429 भादवि व 3/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त सुहील पुत्र हमीदुल निवासी मोहल्ला सुभाष नगर क़स्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी को एक अदद आलाकत्ल कुदाल सहित गिरफ्तार करके माननीय न्या0 भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
सुहील पुत्र हमीदुल निवासी मोहल्ला सुभाष नगर क़स्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>-
1. उ0नि0 श्री नवीन कुमार द्विवेदी, चौकी प्रभारी बरबर, थाना पसगवाँ
2. हे0का0 उमाशंकर, थाना पसगवाँ
3. का0 कपिल, थाना पसगवाँ
4. का0 विजय, थाना पसगवां

<u>थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, छेड़छाड़ के वांछित अभियुक्त रामलखन लोध को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.11.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 289/22 धारा 323/354/506 भादवि में वांछित अभियुक्त रामलखन लोध पुत्र भारत प्रसाद निवासी ग्राम बदालपुरवा थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार करके माननीय न्या0 भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
रामलखन लोध पुत्र भारत प्रसाद निवासी ग्राम बदालपुरवा थाना तिकुनिया जनपद खीरी

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 योगेश कुमार, थाना तिकुनिया
2. का0 खिलेन्द्र कुमार, थाना तिकुनिया

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, पुलिसबल के साथ आमदा फौजदारी से संबंधित अभियुक्त दीपू पुत्र परमईलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 471/2022 धारा 352/504/506/332/353/147 भादवि में वांछित अभियुक्त दीपू पुत्र परमईलाल निवासी ग्राम भगतपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

दिनांक 07.11.2022 को गाली गलौज की सूचना ईवेन्ट संख्या 9187 पर पीआरवी 2867 पर ग्राम भगतपुर थाना मैलानी जनपद खीरी पहुँची। पीआरवी पर तैनात आरक्षी लवकुश द्वारा वादी तथा विपक्षी को मौके पर समझाया जा रहा था तो विपक्षी अपनी गलती की माँफी मांगते हुये शांत हो गया किन्तु काँलर पक्ष के 1.सत्यपाल 2.दीपू 3.संजय पुत्रगण परमाईलाल 4.आरती देवी पुत्री परमाईलाल 5.रेनू देवी पत्नी धर्मेन्द्र निवासीगण ग्राम भगतपुर थाना मैलानी जनपद खीरी पीआरवी 2867 पर तैनात लवकुश व हो0गा0 चालक नरेन्द्र यादव के साथ गाली गलौच और धक्का मुक्की करते हुये कार्य सरकार मे बाधा पहुँचाते हुये मारपीट पर आमदा हो गये मौके पर महिलाये होने के कारण मौके की नजाकत को समझते हुये आरक्षी लवकुश द्वारा उपरोक्त घटनाक्रम से कन्ट्रोल रूम थानाध्यक्ष मैलानी को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया उक्त सूचना पर थाना गोला की महिला पीआरवी 2852 थानाध्यक्ष मैलानी श्री राहुल सिंह गौर,चौकी प्रभारी संसारपुर श्री प्रवीन कुमार मौके पर पहुँचे तो विपक्षीगण इधर –उधर भागने लगे। मौके से अभियुक्त दीपू पुत्र परमईलाल उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे लिया गया। का0लवकुश द्वारा दाखिला लिखित तहरीर पर थाना हाजा पर बनाम 1.सत्यपाल 2.दीपू 3.संजय पुत्रगण परमाईलाल 4.आरती देवी पुत्री परमाईलाल 5.रेनू देवी पत्नी धर्मेन्द्र निवासीगण ग्राम भगतपुर के विरूद्ध पंजीकृत करते हुये अभियुक्त दीपू पुत्र परमईलाल का चालान कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण</u>

मु0अ0स0 471/2022 धारा 352/504/506/332/353/147 भादवि थाना मैलानी जनपद खीरी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-</u>

1.उ0नि0 प्रवीन सिंह, चौकी प्रभारी संसारपुर थाना मैलानी
2.का0 लवकुश पीआरवी 2867, थाना मैलानी
3.म0का0 कंचन देवी, पीआरवी 2852 थाना गोला

4.म0का0कृष्मा देवी, पीआरवी 2852 थाना गोला
5.हो0गा0 चालक नरेन्द्र यादव, पीआरवी 2867 थाना मैलानी

थाना को0 सदर पुलिस द्वारा, छेड़छाड़ के वांछित अभियुक्त प्रहलाद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.11.2022 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 1317/22 धारा /354/354ख भादवि व 9m/10 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त प्रहलाद पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम विष्णुपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार करके माननीय न्या0 भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
प्रहलाद पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम विष्णुपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>-
1. उ0नि0 लल्ला गोस्वामी, प्र0 चौकी संकटा देवी, थाना को0सदर खीरी
2. का0 सलमान खान, थाना को0 सदर खीरी
3. का0 सुमित थाना को0 सदर खीरी

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 218 लीटर अवैध शराब बरामद कर 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **218 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **03 शराब भट्टी** बरामद कर **16 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **12 अभियोग** पंजीकृत किए गए।